पत्रांकः-भवन-12/अभि0प्र0(यो0)-02-विविध-04/2021...................../

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

**राकेश कुमार,**

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

**सभी मुख्य अभियंता,**

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

**सभी अधीक्षण अभियंता,**

भवन निर्माण विभाग, बिहार।

**सभी कार्यपालक अभियंता,**

भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांकः-...............

विषयः- **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अंतर्गत निर्धारित की जाने वाली दरों को लागू करने के संबंध में।**

**प्रसंगः-** श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष) बिहार, पटना का पत्रांक-5/M.W-40-08/2021-3367 दिनांक-19.07.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अंतर्गत निर्धारित दरें प्रावधान विभिन्न नियोजनों में कार्य करने वाले श्रमिकों के आजीविका से संबंधित है एवं ससमय भुगतान नहीं होने से श्रमिकों के मनोबल एवं कार्य क्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

अतः निदेश दिया जाता है कि संलग्न पत्र में वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित करें।

**अनु0-यथोक्त।**

विश्वासभाजन

ह0/-

**(राकेश कुमार)**

**अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव**

**भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।**

**ज्ञापांक-** 7218 (भ)　　**पटना, दिनांक-**5/9/23

**प्रतिलिपिः**-आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5/9/23

**अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव**

पत्रांक– 5/M.W-40-08/2021-2367

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग(श्रम पक्ष)

प्रेषक,

रंजिता, भा०प्र०से०
श्रमायुक्त, बिहार।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभाग।

पटना, दिनांक– 19/7/23

**विषय–** **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत निर्धारित की जाने वाली दरों को लागू करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आप अवगत हैं कि श्रम संसाधन विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के प्रावधानों के आलोक में वर्ष में दो बार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों पर परिवर्तनशील महँगाई भत्ता का लाभ देते हुए दरें निर्धारित की जाती है। अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में न्यूनतम मजदूरी की दरों का भुगतान करना सभी नियोजकों के लिए बाध्यकारी है। विगत वर्षों में विभाग में विभिन्न श्रमिक संघों अथवा श्रमिकों द्वारा सरकारी कार्यालयों द्वारा भी न्यूनतम मजदूरी की दरों का भुगतान नहीं करने अथवा भुगतान ससमय नहीं करने की शिकायतें प्राप्त होती हैं।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत निर्धारित दरें प्रावधान विभिन्न नियोजनों में कार्य करने वाले श्रमिकों के आजीविका से संबंधित है एवं ससमय भुगतान नहीं होने से श्रमिकों के मनोबल एवं कार्यक्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ता है एवं यह अधिनियम के प्रावधानों के भी प्रतिकूल है। विदित हो कि अद्यतन न्यूनतम मजदूरी की दर विभाग के बेबसाईट https://state.bihar.gov.in/labour के Notification Section में उपलब्ध कराया जाता है।

अतः अनुरोध है कि अपने विभाग एवं विभाग से संबंधित समिति/बोर्ड/निगम एवं निकायों में कार्य करने वाले श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी का भुगतान ससमय सुनिश्चित कराने हेतु संबंधित प्राधिकारों को निदेशित करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

18.07.23

(रंजिता)
श्रमायुक्त, बिहार।

1196
25/07/23